उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग2-
संख्या-84 /ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-278-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(342)-2025
लखनऊः दिनांकः 17-02-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में,

(क) क्रम संख्या 25क के समक्ष, स्तंभ(3) में, जहां कहीं भी शब्द "पारेषण और वितरण" आये हों, के स्थान पर शब्द "पारेषण या वितरण" रख दिए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यायें और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 164ख के अधीन गठित मोटर यान दुर्घटना निधि द्वारा उपबंधित की जाने वाली बीमा सेवाएं जो बीमाकर्ताओं द्वारा मोटर यानों के तृतीय पक्षकार बीमा के लिए संकलित प्रीमियम में से योगदान के विरुद्ध प्रदान की गयी हैं	शून्य	शून्य"

(ग) क्रम संख्या 69 के समक्ष, स्तंभ (3) की प्रविष्टि में, मद (ड.) के पश्चात, निम्नलिखित मद बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्:-

"(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई प्रशिक्षण भागीदार."

(ii) पैरा 2 में,

(क) 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी मद (ब) को निकाल दिया जाएगा;

(ख) मद (यत्र) के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(यत्रक) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (अधिसूचना संख्या-4 सन् 1938) की धारा 2 की उपधारा (9) में समनुदेशित है।"

2- यह अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

Signed by
(एम0 देवराज)
M Devaraj
Date: 17-02-2025 11:02:44